प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर वर्ष 2023
प्र0इ0रि0 सं0 ..... 53 /2023.....दिनांक.....7/3/2023.....

2. (I) *अधिनियम ... धारायें. 7 (संशोधित) पीसी एक्ट 2018
(II) *अधिनियम.....धारायें ..
(III) *अधिनियम .....धारायें .....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....28..... समय . 5:45 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन - बुधवार दिनांक 01.03.2023 समय 03:40 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 14.02.2023 समय 12:45 पी.एम.

4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित

5. घटनास्थल:- कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), सूरजपोल मण्डी, जयपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- उत्तर दिशा दूरी करीब 04 कि0मी0
(ब) पता :
बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम:- श्री चन्द्र शेखर शर्मा
(ब) पिता/पति का नाम - श्री चतुर्भुज शर्मा
(स) जन्म तिथि/वर्ष .....37 वर्ष.....
(द) राष्ट्रीयता- भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय -
(ल) पता - मकान सं. 6, रूप नगर-II, महेश नगर, जयपुर, राजस्थान

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :-
श्री अनिल कुमार सक्सैना पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सक्सैना, जाति कायस्थ, उम्र 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 756, शांति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, नियमन शाखा, कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), मुख्यालय सूरजपोल मण्डी, जयपुर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-..कोई नहीं.....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
4,000 रूपये रिश्वती राशि

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य:- 4,000/-रूपये रिश्वती राशि

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

हालात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 14.02.2023 को परिवादी श्री चन्द्र शेखर शर्मा पुत्र श्री चतुर्भुज शर्मा जाति ब्राह्मण, उम्र 37 वर्ष निवासी 6, रूप नगर-II, महेश नगर, जयपुर ने अति0 पुलिस अधीक्षक, नगर-प्रथम, जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरी फर्म चन्द्रभागा इन्टरप्राइजेज के नाम से रजिस्टर्ड है जिसमें मेरा नाम चन्द्र शेखर शर्मा है जो कि मुझे कृषि उपज मण्डी सुरजपोल मण्डी जयपुर से प्राप्त हुआ है जो कि मेरा सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन में नाम चन्द्र शेखर शर्मा एचयूएफ है अतः इस नाम संधोधन बाबत् मेने सुरजपोल कृषि उपज मण्डी में एक संशोधन पत्र दिनांक 16.12.2022 को प्रस्तुत किया जो मुझ से श्री अनिल सक्सेना ने ले लिया और कहा कि मै नाम परिवर्तन का काम करता हूँ। आप कुछ समय बाद संशोधित मण्डी लाईसेन्स ले जाना, मैं उससे 3-4 दिन बार इस काम से मिल चुका लेकिन वह टालमटोल करता रहा अभी हाल ही में मैं करीब 5 से 6 दिन पहले मिला इस काम के लिए वापस मिला तो उसने मुझसे बतौर रिश्वत खर्चा पानी के रूपये मांगे और खर्चा-पानी करने पर ही संशोधित मण्डी लाइसेन्स जारी करवाने के लिए कहा, मैने काफी समय सोच विचार किया मै श्री अनिल सक्सेना कर्मचारी कृषि उपज मण्डी सुरजपोल को कोई रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ और उनको रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी उससे कोई रंजिश या उधारी नहीं है कृपया कानूनी कार्यवाही करें। उक्त परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन का निर्णय लिया गया। परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बंद करने का तरीका समझाकर दिनांक 14.02.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु श्री मनु शर्मा कानि. 111 को परिवादी के साथ रवाना किया गया। उसके बाद परिवादी व कानि. मनु शर्मा वापस ब्यूरो कार्यालय आये तथा परिवादी ने बताया कि श्री अनिल सक्सेना ने मेरे से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता की जिसने मेरी फर्म के लाईसेन्स में संशोधन करने की ऐवज में 5000 हजार रूपये मांगे तथा उसने बातों-बातों में मेरे से कहा कि अब आपकी ईच्छा हो वो ही दे दो। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी द्वारा 04,000 रुपये की ही व्यवस्था कर संदिग्ध आरोपी को देने को बताया। इसके बाद परिवादी को दिनांक 27.02.2023 को संदिग्ध आरोपी के पास मंडी लाईसेंस संशोधन का कार्य हो जाने की जानकारी आरोपी से मिलने के बाद परिवादी के पास रिश्वती राशि की व्यवस्था हो जाने पर दिनांक 01.03.2023 परिवादी श्री चन्द्र शेखर शर्मा ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा तलबशुदा स्वतंत्र गवाहान भी उपस्थित आये। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 14.02.2023 की रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता की वार्ता रूपान्तरण तैयार की जाकर फर्द ट्रासंक्रिप्ट तैयार की जाकर वॉईस क्लिप 05 सीडी में रिकार्ड/सेव कर मार्का अंकित किया जाकर सीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व सीडी अनुसार कपड़े के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। परिवादी श्री चन्द्र शेखर शर्मा को संदिग्ध आरोपी को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहने पर परिवादी ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000 रूपये पेश किये। उक्त नोटों को फर्द में अंकित करवाकर नोटों पर नियमानुसार फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उक्त पाउडर युक्त नोट परिवादी श्री चन्द्र शेखर शर्मा की पहनी हुई पेंट की सामने की दांयी जेब में रखवाये गये। जिसकी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। उसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी, श्री मनोहर सिंह हैड कानि. 41, श्री हरिसिंह कानि. नम्बर 19, श्री राजकुमार कानि. 364, बंशीधर कॉनि. 363, श्री आशीष कॉनि. 208 दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजेश कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री मनोज कुमार चांवरिया वरिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के ब्यूरो कार्यालय जयपुर से जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 युडी 1394 मय चालक के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से सूरजपोल कृषि उपज मण्डी, जयपुर के लिए रवाना हुये तथा परिवादी श्री चन्द्रशेखर शर्मा को भी उसके निजी वाहन से श्री कानि. मनुशर्मा

111 के साथ सूरजपोल कृषि उपज मण्डी में मिलने की हिदायत कर रवाना किया जाकर सूरजपोल कृषि उपज मण्डी परिसर में पहुंचकर सरकारी वाहन को सड़क के किनारे खड़ा करवाया जहॉ पूर्व में पाबन्दशुदा परिवादी चन्द्रशेखर शर्मा मय कानि. मनु शर्मा के उपस्थित मिला जिसे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालु बन्द व वार्ता रिकॉर्ड करने की विधि समझाकर हिदायत दी गई की संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क करने से पूर्व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालु कर लेवें जिससे उसके एवं संदिग्ध आरोपी के बीच रिश्वत के लेनदेन के समय होने वाली वार्ता रिकॉर्ड हो सके तथा दोनों गवाहान को हिदायत दी गई की संदिग्ध आरोपी व परिवादी के मध्य रिश्वत के लेनदेन एवं होने वाली वार्ता को देखने एवं सुनने का प्रयास करें तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेर अथवा मन् उप अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर ईशारा करने की परिवादी को आवश्यक हिदायत कर संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क करने हेतु कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, सूरजपोल जयपुर के लिए रवाना किया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी परिवादी के पीछे-पीछे आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस भी पीछे-पीछे रवाना हुआ। उसके बाद परिवादी श्री चन्द्र शेखर शर्मा पुत्र श्री चतुर्भुज शर्मा जाति ब्राह्मण, उम्र 37 वर्ष निवासी 6, रूप नगर-II, महेश नगर, जयपुर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को पूर्व हिदायतानुसार कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), सूरजपोल मण्डी परिसर के गेट के अन्दर आरोपी द्वारा सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि लिये जाने का ईशारा किया। ईशारा मिलने पर आस-पास खड़े मुकीम ट्रेप पार्टी के सदस्य एवं स्वतंत्र गवाहान को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने साथ लेकर उनके पास पहुंचा तो परिवादी श्री चन्द्र शेखर शर्मा एक व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ मिला। जिस पर परिवादी को पूर्व में सुपुर्द किया हुआ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा। परिवादी श्री चन्द्र शेखर शर्मा ने अपने पास खड़े चैकदार शर्ट एवं हल्के ब्राउन रंग की पेंट पहने व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह श्री अनिल कुमार सक्सैना जी बाबू हैं, जिसने मुझसे अभी-अभी 4,000 रूपये रिश्वती राशि अपने दायें हाथ से प्राप्त कर अपनी पेंट की सामने की दाहीनी जेब में रखे है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उस व्यक्ति से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम पता श्री अनिल कुमार सक्सैना पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सक्सैना, जाति कायस्थ, उम्र 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 756, शांति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, नियमन शाखा, कृषि उपज मण्डी समिति, सूरजपोल मण्डी, जयपुर होना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री अनिल कुमार सक्सैना को आवश्यक हिदायत देकर परिवादी श्री चन्द्र शेखर शर्मा से 4,000 रूपये ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री अनिल कुमार सक्सैना ने बताया कि मैं कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, सूरजपोल मण्डी, जयपुर में नियमन शाखा में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित हूं तथा मैं मण्डी के लाईसेंस से संबंधित कार्य देखता हूं। श्री चन्द्र शेखर शर्मा द्वारा अपनी फर्म मैसर्स चन्द्रभागा एन्टरप्राईजेज के लाईसेंस में एचयूएफ एड करवाने के लिए माह दिसम्बर में मूल लाईसेंस व अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी मेरे को दिये थे। मैं मेरी सीट से संबंधित अन्य कार्यो में व्यस्त होने के कारण तथा मेरे दोस्त की पुत्री की शादी में व्यस्त होने के कारण लाईसेंस में एचयूएफ एड करने में समय लग गया। अतः उक्त कार्य मेरे पास पैण्डिंग था, चन्द्रशेखरजी मेरे पास पहले भी आये थे। मेरे द्वारा इनके लाईसेंस में एचयूएफ एड करने के लिए कभी भी रिश्वत राशि की मांग नहीं की गई। आज भी चन्द्रशेखर शर्मा जी मेरे पास आये थे व मेरे को अपनी ईच्छा से ही 04,000 रुपये दिये थे, जो मैंने बिना गिने ही अपनी जेब में रख लिये थे। मैंने चन्द्रशेखर जी शर्मा से किसी भी रिश्वत राशि की मांग नहीं की। इसके पश्चात मौके पर मौजूद परिवादी श्री चन्द्र शेखर शर्मा ने श्री अनिल कुमार सक्सैना के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि मेरी फर्म चन्द्रभागा इन्टरप्राइजेज के लाईसेंस में संधोधन कराने के लिए मैं अनिल सक्सैना बाबुजी से दिनांक 14.02.2023 को मिला था, जिसने लाईसेंस में संशोधन करने की ऐवज में रिश्वत राशि 5,000 रुपये मांगे तथा ईच्छानुसार देना तय कर मुझसे अभी-अभी 4,000 रूपये रिश्वती

राशि मेरे से दांये हाथ से प्राप्त कर अपनी पेंट की सामने की दांयी जेब में रखे है और मेरे को संशोधित मूल लाईसेंस दिया है। जो मेरे पास है। परिवादी श्री चन्द्रशेखर शर्मा से पूर्व में प्राप्त विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चला कर सुना गया तो श्री अनिल कुमार सक्सैना व परिवादी की वक्त लेन-देन के समय की वार्ता होना पाई गई। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कांच का नया गिलास निकलवाकर कृषि उपज मण्डी समिति के कार्यालय से एक जग में साफ पानी मंगवाकर गिलास में साफ पानी डालकर गिलास को धुलवाकर तथा गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री अनिल कुमार सक्सैना के दायें हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क आर-1 व आर-2 अंकित कर चिट चस्पा कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार ट्रेप बॉक्स में से एक अन्य साफ कांच का नया गिलास निकलवाकर कृषि उपज मण्डी समिति के कार्यालय से एक जग में साफ पानी मंगवाकर गिलास में साफ पानी डालकर गिलास को धुलवाकर तथा गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री अनिल कुमार सक्सैना के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गदमैला होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर चिट चस्पा कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री मनोज चांवरिया से आरोपी श्री अनिल कुमार सक्सैना की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी श्री अनिल कुमार सक्सैना की पहनी हुई पेंट की सामने की दांयी जेब में 500-500 के नोट मिले जिसको दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 500-500/रूपये के 08 नोट कुल 4,000/रूपये मिले। जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से किया गया तो 500-500/रूपये के 08 नोट कुल 4,000 रूपये हुबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न प्रकार है:-

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 QS 721756
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 GH 839513
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7 FT 585698
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5 KU 935906
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 NL 620486
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 SN 324755
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 EV 582954
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 EN 380633

उपरोक्त 4,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसके पश्चात एक अन्य साफ कांच के गिलास में पूर्वानुसार घोल तैयार करवाकर आरोपी श्री अनिल कुमार सक्सैना की पहनी हुई पैंट की दांयी जेब जिससे रिश्वती राशी बरामद हुई थी, को उल्टवाकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो अन्य साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया व पेंट को सामने

की दांयी साईड की जेब को सुखवाकर जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्क ''पी'' अंकित कर पैकिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वति राशि तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री चन्द्रशेखर शर्मा व आरोपी श्री अनिल कुमार सक्सैना कनिष्ठ सहायक के मध्य रिकॉर्ड रिश्वत सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन की वार्ता से मिलान हेतु अपनी नमूना आवाज देने हेतु फर्द नमूना आवाज पृथक से बनाई गई आरोपी श्री अनिल कुमार सक्सैना कनिष्ठ सहायक से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट पृथक से तैयार कर तथा आरोपी को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तीब की गई। घटनास्थल का स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। उसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर गिरफ्तारशुदा आरोपी, शिल्ड शुदा आर्टिकल्स, ट्रेप बॉक्स मय साजो सामान मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के सरकारी वाहन के रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचा तथा दिनांक 02.03.2023 को स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकार्डर को लेपटॉप की सहायता से सुना जाकर वॉईस क्लिप का वार्ता रूपान्तरण कार्यालय लेपटॉप की सहायता से तैयार किया जाकर रिश्वत लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर रिकॉर्ड वार्ता की नियमानुसार पांच सीडी में रिकार्ड/सेव किया जाकर मार्का अंकित किये गये तथा शिल्ड शुदा आर्टिकल्स पर लगाई गई फर्द नमूना सील तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर आदि कार्यवाही की गई। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है, कि कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), सूरजपोल मण्डी, जयपुर में कार्यरत आरोपी श्री अनिल कुमार सक्सैना द्वारा परिवादी श्री चन्द्रशेखर शर्मा से उसकी फर्म के मंडी लाईसेंस में संशोधन करने के लिए मांग सत्यापन के समय 05,000 रुपये रिश्वत राशि लेना तय कर दिनांक 01.03.2023 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान 4,000/रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री अनिल कुमार सक्सैना पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सक्सैना, जाति कायस्थ, उम्र 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 756, शांति नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, नियमन शाखा, कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), मुख्यालय सूरजपोल मण्डी, जयपुर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय

(नीरज गुरनानी)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री अनिल कुमार सक्सैना, कनिष्ठ सहायक, नियमन शाखा, कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), मुख्यालय सूरजपोल मण्डी, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 53/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

2/3/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 416-19 दिनांक 2.3.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1 जयपुर।
2. निदेशक, कृषि विपणन, विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

2/3/23

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।